जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित PMU में संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना

विज्ञापन सूचना– 01/2021–22

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU गठन हेतु ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में जिले में रिक्तियों की संख्या तथा अहर्त्ता निम्नवत् है :–

➢ **जिला स्तर पर :–**

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	पदों का वर्ग	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रशिक्षण समन्वयक	01 (अनारक्षित)	तृतीय	22 से 45 वर्ष	35,000/	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थानों से रूरल मैंनेजमेंट/ को–ऑपरेटिव मैंनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण/ Post Graduate/ PGDM/ MBA in Rural Management/ Cooperative Management/ Social Work एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।

➢ **प्रखण्ड स्तर पर :–**

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	पदों का वर्ग	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर	05 (अनारक्षित–02, अ0ज0जा0–02, अ0जा0–01)	तृतीय	18 से 30 वर्ष	10,000/	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इन्टरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण एवं अन्य निर्देश लागू होंगे।
- प्राप्त आवेदन के आलोक में तैयार मेधा/ प्रतीक्षा सूची से ही भविष्य में रिक्त पद के विरूद्ध चयन किया जायेगा। मेधा सूची प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक–06.10.2021 से 22.10.2021 तक भरा जायेगा।
- आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी www.jamtara.nic.in अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, जामताड़ा से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- **इस कार्यालय के ज्ञापांक–683, दिनांक–08.08.2020 द्वारा जिला प्रशिक्षण समन्वयक के एकल पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन सूचना 01/2020–21 को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।**

उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 1055 /अभि0, दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त आम सूचना को जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– श्री राम कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।